न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

अणदाराम वगैरह

बनाम

राज्य सरकार

किस्म मुकदमा 225 आर.टी.एक्ट न. 145 सन 2020

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.10.2020	पत्रावली बाद जांच होकर कार्यालय से पेश हुई। अपीलांट के अधिवक्ता श्री रोशनलाल विश्नोई उपस्थित। अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरुद्ध सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी फलोदी द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 32/2020 अनवान अणदाराम वगैरह बनाम राज्य में पारित आदेश दिनांक 14.10.2020 के विरुद्ध पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर की जावें। अपीलांट के अधिवक्ता की अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर एकतरफा बहस सुनी गई। अपीलांट के अधिवक्ता ने अपील एवं स्थगन प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम कुण्डल तहसील फलोदी जिला जोधपुर में स्थित खसरा संख्या 153 रकबा 415.12 बीघा गैर मुमकिन गौचर आई हुई है। उक्त भूमि के पास ही ग्राम की आबादी भूमि आई हुई है। जो पूर्ण रूप से भर जाने पर उपरोक्त खसरे की 2 बीघा भूमि पर अपीलार्थीगण के मकान व बाड़े आये हुए है। जिसमें वे पीढियों से निवास कर रहे है। उपरोक्त कब्जासुदा दो बीघा भूमि को आबादी में दर्ज करवाने हेतु ग्राम पंचायत कुण्डल द्वारा दिनांक 05.05.2017 को एक प्रस्ताव लेकर उपखण्ड अधिकारी फलोदी व जिला कलक्टर जोधपुर को भिजवाया जिसमें खसरा नं. 153 में सें 2 बीघा भूमि आबादी के रूप में क्षतिपूर्ति हेतु खसरा संख्या 468 में सकें 2 बीघा भूमि गोचर के रूप में दर्ज किये जाने का प्रस्ताव भेजा गया, जिस पर दिनांक 13.12.2017 को मौका रिपोर्ट भी राज्य सरकार को भिजवायी गई तथा दिनांक 10.04.2018 को खसरा संख्या 468 के संबंध में भी रिपोर्ट भेजी गई। वर्तमान में अपीलार्थीगण की पक्की ढाणियॉ बनी हुई है, पानी	

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

का टांका खुदा हुआ है। प्रत्यर्थीगण अपीलार्थीगण को बेदखल करने की धमकिया दे रहे है। यदि वे अपने इस उद्धेश्य में सफल हो जाते है तो पार्थी को अपूरणीय क्षति होगी अतः स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील के लंबित रहने तक ग्राम कुण्डल तहसील फलोदी के खसरा नं. 153 में सें 2 बीघा भूमि की मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का आदेश फरमावें।

अपीलांट के अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपीलार्थीगण के विरुद्ध धारा 91 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही संस्थित होकर बेदखली के आदेश जारी हो चुके है, जिसकी अपील अपीलार्थीगण द्वारा सक्षम न्यायालय में अभी तक नहीं की है। मामला गोचर भूमि में अतिक्रमण का है और अपीलार्थीगण लंबे समय से आवास बनाकर गांव कुण्डल के खसरा नं. 153 रकबा 415.12 बीघा किस्म गैर मुमकिन गोचर में 8 बिस्वा भूमि (प्रत्येक 2 बिस्वा भूमि पर अतिक्रमी) रह रहे है। न्याय हित में अपीलार्थीगण को सक्षम न्यायालय में अपील प्रस्तुत करने हेतु 15 दिवस की अवधि का अवसर प्रदान करने के लिए अनुमत किया जाकर तब तक मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने का अस्थाई व्यादेश दिया जाता है। 15 दिवस की अवधि समाप्ति के साथ स्वतः ही यह अस्थाई व्यादेश समाप्त हो जायेगा। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।।

आदेश सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर